पत्र संख्या—13 / वि0प0—11—04 / 2025........ 2673

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अति महत्वपूर्ण / ई—मेल

शरद कुमार,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा मे,

सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग
सभी निदेशक / संयुक्त निदेशक, जल संसाधन विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक— 13.06.2025

विषयः— **विभागान्तर्गत कर्मियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु प्रक्रिया का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1243 दिनांक 08.10.2014 द्वारा प्रचारित पत्र / नियम एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये विभागान्तर्गत सेवारत अभियंताओं / कर्मियों का स्थानांतरण / पदस्थापन किया जाता है। किन्तु कुछ ऐसे मामलें विभाग के संज्ञान में आये हैं, जिसमें तथाकथित नाम श्री संतोष कुमार एवं कतिपय अन्य व्यक्तियों, जिसका विभाग से किसी प्रकार का संबंध नहीं होने के वाबजूद भी उनके द्वारा विभागीय कनीय अभियंताओं को मनोवाँछित कार्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु अवाँछित तरीके से सम्पर्क करने हेतु कहा जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी संबंधितों को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जाता है कि वे अपने स्थानांतरण / पदस्थापन के लिये किसी भी बाह्य व्यक्ति के झाँसे में न आये और न ही इस संर्दभ में किसी बाह्य व्यक्ति से संपर्क करें। साथ ही सेवारत अभियंताओं / कर्मियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई फोन कॉल आदि प्राप्त होता है, तो उक्त आशय की सूचना से विभाग के संबंधित वरीय पदाधिकारी को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।

यहाँ यह स्पष्ट करना है कि सेवारत अभियंताओं / कर्मियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदंडों के अधीन होता है किन्तु कतिपय मामलें में कर्मियों द्वारा अपने स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु बाह्य व्यक्तियों के माध्यम से विभाग को अनुशंसा / सिफारिश कराया जाता है, जो नियमानुकूल नहीं है। इस संबंध में वैसे कर्मियों, जिनके द्वारा उक्त प्रक्रिया को अपनाते हुये अनुशंसा / सिफारिश विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई किया जा सकता है। उक्त आशय की सूचना से अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
13/6/2025
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांकः—13 / वि0प0—11—04 / 2025....... 2673 / पटना, दिनांक— 13.06.2025

प्रतिलिपिः—कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों के ई—मेल पत्ता पर भेजने हेतु प्रेषित।

13/6/2025
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

A. Letter